


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./9/नर्सिंग/सेल-2/2014/205

भोपाल, दिनांक 6/03/2014

✓: आदेश :-

संचालनालय के आदेश क्र./9/नर्सिंग/सेल-2/2014/163-64 दिनांक 25.02.2014 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्र0 डब्ल्यूपी. 12658/2013 में कुमारी नीलम तिवारी, श्रीमति सुरेखा पटेल, श्रीमति ममता पटेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 30.7.2013 द्वारा स्थगन दिया गया है। उक्त स्टॉफ नर्सों की सेवायें उच्च न्यायालय जगलपुर का निर्णय होने तक यथावत रखने के निर्देश जारी किये गये है। इसी तारतम्य में उच्च न्यायालय जबलपुर के उक्त प्रकरण एवं पारित आदेश के समान जिन स्टॉफ नर्सों द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकायें दायर की गई है। एवं उनको उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थगन दिया गया है। ऐसे स्टॉफ नर्स कर्मचारियों की सेवायें उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय होने तक यथावत रखी जाती है।



संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./9/नर्सिंग/सेल-2/2014/

भोपाल, दिनांक /03/2014

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
4. सगस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया जाता है कि जिन स्टॉफ नर्सों द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिकाओं के पारित आदेश में स्थगन दिया गया है। ऐसे स्टॉफ नर्स कर्मचारियों के अम्यावेदन प्राप्त कर न्यायालय निर्णय को जांच कर उनकी सेवायें उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय होने तक यथावत रखने की कार्यवाही कर तत्काल अघोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।
5. रामस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
6. नोडल अधिकारी कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर मध्यप्रदेश।
7. आदेश नस्ति।


संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश